

प्रति,

- १) विभागीय कृषि सहसंचालक, -----(सर्व)
- २) जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, -----(सर्व)

विषय- सन २०१७-१८ मध्ये “उन्नत शेती - समृद्ध शेतकरी” मोहिमेंतर्गत कृषि उन्नती योजनेंतर्गत कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियानांच्या अंमलबजावणी करिता मार्गदर्शक सूचना...

संदर्भ : १) केंद्र शासनाच्या <http://farmech.dac.gov.in> या संकेत स्थळावरील कृषि यांत्रिकीकरण उप अभियानाबाबत सुधारीत मार्गदर्शक सूचना - २०१६-१७

२) शासन निर्णय क्र. कृयाउ-१०१४/प्र.क्र.१२४/४अ, दि. ३ जून, २०१४.

३) शासन निर्णय क्र. ०३१७/प्र.क्र.१८/राकृवियो कक्ष, दि. १३ एप्रील, २०१७

४) आयुक्तालयाचे पत्र जा.क्र./सुकृऔ/दर नि./२०१५-१६/भाग-६/७९/गुनि-५/२०१७, दि. १४/०३/२०१७

५) केंद्र शासनाचे क्र.३-१/२०१५-M&T (I&P), दि. ०१/५/२०१७ या क्रमांक व दिनांकाची तीन पत्रे

६) आयुक्तालयाचे पत्र जा.क्र./कृ.या.उ.अ./२०१७-१८/लक्षांक/१६४/गुनि-५/२०१७, दि. १७/०५/२०१७

७) आयुक्तालयाच्या मार्गदर्शक सूचना जा.क्र. उ.शे.स.शे./कृषि.यांत्रि/१७-१८/१८४/१७, दि. ०२/०६/२०१७

८) आयुक्तालयाचे पत्र जा.क्र./सुकृऔ/२०१७-१८/गुनि-५/१८५/२०१७, दि. ०२/०६/२०१७

९) आयुक्तालयाचे पत्र जा.क्र./सुकृऔ/२०१७-१८/पॉ.टि.यादी/१९१/गुनि-५/२०१७, दि. ०८/०६/२०१७

राज्यात सन २०१४-१५ पासून कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियान राबविण्यात येत आहे. केंद्र शासनाने कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियानाच्या सुधारीत मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या असून त्या केंद्र शासनाच्या <http://farmech.dac.gov.in> या संकेत स्थळावर उपलब्ध आहेत.

कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियानामध्ये केंद्र व राज्य हिस्सा ६०:४० प्रमाणे आहे. केंद्र शासनाने संदर्भिय पत्र दि.०१/५/२०१७ अन्वये सन २०१७-१८ करिता घटक-३ “अनुदानावर कृषि औजारांचा पुरवठा,” घटक-४ “भाडे तत्वावर कृषि यांत्रिकीकरण सेवा-सुविधा पुरवठ्यासाठी कृषि औजारे बँक स्थापना” व प्रशासकिय खर्चाच्या कार्यक्रमास मान्यता प्रदान केली असून त्यासाठी केंद्र हिश्यापोटी अनुदानाचा पहिला हप्ता रु.१७०६.४० लाख निधी मंजूर केला आहे. सदर कार्यक्रमास अद्याप राज्य शासनाची प्रशासकीय मान्यता अप्राप्त आहे. तथापी, सन २०१७-१८ मध्ये राज्यात राबविण्यात येणा-या कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियानाच्या अंमलबजावणीच्या पुर्वतयारीसाठी अंतरीम मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात येत असून त्या कृषि विभागाच्या <http://krishi.maharashtra.gov.in> या संकेतस्थळावरही उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. केंद्र शासनाने राज्यासाठी मंजूर केलेल्या कार्यक्रमाचे मर्यादित सन २०१० च्या कृषि गणनेनुसार जिल्हानिहाय खातेदार संख्या विचारात घेउन कार्यक्रमाचे नियोजन केले आहे.

अ) घटक क्र. ३: “कृषि यंत्र सामुग्री व उपकरणे खरेदीसाठी अर्थसहाय्य (अनुदानावर कृषि औजारे पुरवठा)”

१. पार्श्वभूमी : राज्यातील शेतक-यांना कृषी यंत्रसामुग्री/औजारे खरेदीस प्रोत्साहित करणे व त्याद्वारे कृषि यांत्रिकीकरणास प्रोत्साहन देणे हा सदर घटकाचा प्रमुख उद्देश आहे.

२. घटकाचा उद्देश :

- १) शेतक-यांना कृषि यांत्रिकीकरणास प्रोत्साहन देणे.
- २) विभागनिहाय पीक रचनेनुसार आवश्यक व पूर्वतपासणी केलेली दर्जेदार कृषि औजारे अनुदानावर उपलब्ध करून देणे.
- ३) शेतक-यांना त्यांच्या गरजेनुसार व मागणी प्रमाणे शासनाने निवड केलेल्या उत्पादकांची उत्पादने अनुदानावर उपलब्ध करून देणे.
- ४) कृषि उत्पादन प्रक्रियेत अद्ययावत यंत्रसामुग्रीच्या वापरासाठी प्रोत्साहित करणे.

### ३. घटकाच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया :

कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियानांतर्गत घटक क्र. ३: कृषि यंत्र सामुग्री व उपकरणे खरेदीसाठी अर्थसहाय्य करीता संपूर्ण कार्यवाही/प्रक्रिया, कृषि आयुक्तालयाचे संदर्भिय पत्र दि. २ जून, २०१७ मधील मार्गदर्शक सुचनांनुसार राहिल. कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियानांतर्गत जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय कार्यकारी समितीच्या मान्यतेने लाभार्थी निवड करावयाची असल्याने जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांनी लाभार्थी निवडीकरीता सोडत काढण्यास जिल्हास्तरीय कार्यकारी समितीची मान्यता घ्यावी व तदनंतर उपविभागीय कृषि अधिकारी यांनी तालुकानिहाय सोडतीची प्रक्रिया राबवावी.

४. भौतिक/आर्थिक लक्षांक - जिल्हा निहाय अंतरीम भौतिक/आर्थिक लक्षांकाचा तपशील कृषि आयुक्तालयाचे संदर्भिय पत्र दि. १७/०५/२०१७ अन्वये निर्गमित करण्यात आला आहे.

५. लक्षांक बदलाचे अधिकार - जिल्ह्यांतर्गत प्राप्त पात्र अर्जदारांनुसार उपविभागांतर्गत /तालुकांतर्गत लक्षांकात काही बदल करणे क्रमप्राप्त असल्यास असे बदल संबंधीत जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांनी जिल्हास्तरीय कार्यकारी समितीच्या मान्यतेने करावेत. तसेच, विभागांतर्गत जिल्ह्यामधील लक्षांकात बदल करावयाचे झाल्यास त्याचे अधिकार संबंधीत विभागीय कृषि सहसंचालक यांना राहतील. तथापि, सदर बदल प्रवर्गनिहाय मंजूर आर्थिक तरतुदीच्या मर्यादेतच करणे बंधनकारक राहिल. एखाद्या विभागात वितरीत लक्षांक साध्य होत नसेल अशा प्रकरणी आयुक्तालयास तसे तात्काळ कळविणे आवश्यक आहे. सदर लक्षांक मागणी असलेल्या इतर विभागांना आयुक्तालय स्तरावरून वितरीत करण्यात येईल. कुठल्याही परिस्थितीत घटक क्र. ३ चा आर्थिक लक्षांक घटक क्र. ४ वर खर्च करण्यात येणार नाही.

### ६. औजारे/ उपकरणांची निवड :

कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियानांतर्गत शासन निर्णय दि. १३/०४/२०१७ मध्ये समाविष्ट यंत्र/औजारांना (Tractor and basket of implements) अनुदान अनुज्ञेय राहिल. सदर यादी सोबत सहपत्रित केली आहे. (प्रपत्र - १) तसेच शासन पत्र क्र. कृयायो-१०१७/प्र.क्र.६४/१७/४ अं, दि. १५ मे २०१७ अन्वये शासनाने कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियानांतर्गत मंजूर वार्षिक कृती आराखड्यांतर्गत मनुष्य/बैल चलीत यंत्रासाठी व मनुष्य चलित पीक संरक्षण उपकरणांसाठी अनुक्रमे रु. ३०.०० लाख व रु. ९.६० लाख असा एकूण रु. ३९.६० लाखाचा निधी खर्च करण्यास मान्यता प्रदान केली आहे.

यास्तव कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियानांतर्गत शासन निर्णय दि. १३/०४/२०१७ मध्ये समाविष्ट यंत्र/औजारांव्यतीरीक्त कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियानांच्या केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांमध्ये समाविष्ट मनुष्य/बैल चलीत यंत्रासाठी व मनुष्य चलित पीक संरक्षण उपकरणांसाठी अनुदान अनुज्ञेय राहिल. सदर यादी सोबत सहपत्रित केली आहे. (प्रपत्र - २) त्यानुसार कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियानांतर्गत मनुष्य/बैल चलीत यंत्रासाठी व मनुष्य चलित पीक संरक्षण उपकरणांसाठी आपल्या जिल्हा/विभागास वितरीत लक्षांकाच्या मर्यादेतच एकूण निधी अनुज्ञेय राहिल. मनुष्य/बैल चलीत यंत्र/औजारे व मनुष्य चलित पीक संरक्षण उपकरणे वगळता कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियानांतर्गत देण्यात आलेल्या इतर औजारांच्या लक्षांकामधुन शासन निर्णय दि. १३/०४/२०१७ मध्ये समाविष्ट यंत्र/औजारांनाच अनुदान अनुज्ञेय राहिल. याची नोंद घ्यावी.

सदर उपअभियानांतर्गत केंद्र शासनाने शेतकरी प्रवर्ग निहाय व औजारे प्रकारनिहाय अनुदानाच्या उच्चतम मर्यादा निर्धारित केल्या आहेत. त्याचा तपशील सोबत प्रपत्र - १ मध्ये सहपत्रित केला आहे. औजारांच्या प्रकारानुसार व त्यासाठी आवश्यक असलेल्या ट्रॅक्टरच्या अश्वशक्तीवर (एच.पी.) आधारित अनुदान दर वेगवेगळे असल्याने ज्या गटातील औजारांची मागणी असेल त्या गटाच्या निर्धारित उच्चतम मर्यादेपर्यंतच अनुदान अनुज्ञेय राहिल.

### आ) घटक क्र. ४ : “भाडे तत्वावर कृषि यांत्रिकीकरण सेवेसाठी कृषि औजारे बँक स्थापन करणे”

#### १. पार्श्वभूमी :

राज्यातील बहुतांश भाग कोरडवाहु असल्याने कृषि औजारे/उपकरणे शेतक-यांना स्वतः खरेदी करण्यास मर्यादा येतात. याकरिता कृषि औजारांच्या सेवा सुविधा शेतक-यांना प्रचलीत भाडेदरापेक्षा कमी दराने उपलब्ध करून देण्याचे दृष्टीने कृषि औजारे सेवा सुविधा केंद्रे (कृषि औजारे बँक) स्थापन करणे हा प्रमुख उद्देश आहे.

#### २. घटकाचे उद्देश :

- १) जिल्ह्यामध्ये ज्या भागात कृषि क्षेत्रात उर्जा वापराचे प्रमाण कमी आहे तेथे यांत्रिकीकरणास प्रोत्साहन देणे.
- २) सदर क्षेत्रातील पीक रचनेनुसार पिकाच्या पेरणीपासून काढणीपश्चात प्रक्रियेपर्यंत शेतक-यांना माफक दराने यांत्रिकीकरणाची सेवा - सुविधा भाडेतत्वावर उपलब्ध करून देणे.
- ३) लहान व सिमांतीक शेतक-यांना कृषि यांत्रिकीकरण सुविधेचा लाभ देणे.

- ४) या प्रक्रियेत नोंदणीकृत प्रगतीशील शेतकरी गट, शेतक-यांचे नोंदणीकृत गट, बचत गट व कृषि उत्पादक कंपनी यांचा अंतर्भाव करून माफक भाडे तत्वावर शेतक-यांना कृषि यांत्रिकीकरण सेवा सुविधा पुरविणे व सामुग्रीची देखभाल करणे.
- ५) कृषि उत्पादन प्रक्रियेत अद्ययावत यंत्रसामुग्रीचा वापर करणे.

### ३. सेवा-सुविधा केंद्रे स्थापन करताना गावांच्या निवडीचे निकष :

कृषि यांत्रिकीकरण सेवा-सुविधा केंद्र (कृषि औजारे बँक) स्थापनेसाठी गावांची निवड करताना केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनानुसार खालील निकष पाळणे बंधनकारक राहिल.

- अ) कृषि क्षेत्रात कमी प्रमाणात उर्जा वापर असलेली गावे. (सन २०११ मधील राज्यातील जिल्हानिहाय कृषि क्षेत्रातील उर्जावापर दर्शविणारा तक्ता सोबत सहपत्रीत केला आहे (प्रपत्र-३). त्यात सद्यस्थितीनुरूप कृषि विद्यापीठातील तज्ञांचे सल्ल्याने सुधारणा करण्यास हरकत नाही.)
- ब) ट्रॅक्टरची संख्या कमी प्रमाणात असलेली गावे.
- क) अल्प व अत्यल्प जमीनधारकांचे प्रमाण अधिक असलेली गावे.
- ड) सध्या कृषि उत्पादकता कमी असलेली परंतु उत्पादकता वाढीस वाव असलेली गावे.

### ४. लाभार्थी निवडीची कार्यपध्दती -

**कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियानांतर्गत घटक क्र. ४:** कृषि औजारे बँक स्थापना अंतर्गत कृषि औजारे बँक घटकाचा लाभ घेण्यासाठी प्राधान्याने शेतकरी उत्पादक कंपनी, शेतक-यांचे नोंदणीकृत गट, शेतकरी बचत गट, प्रगतीशील शेतकरी गट, कृषि विज्ञान केंद्रे यापैकी इच्छुक अर्जदारांची निवड करावी. या घटकांतर्गत लाभार्थी निवडीपर्यंतची कार्यपध्दती कृषि आयुक्तालयाचे संदर्भिय पत्र दि. २ जून २०१७ मधील मार्गदर्शक सुचनानुसार राहिल. कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियानांतर्गत जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय कार्यकारी समितीच्या मान्यतेने लाभार्थी निवड करावयाची असल्याने जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांनी लाभार्थी निवडीकरीता सोडत काढण्यास जिल्हास्तरीय कार्यकारी समितीची मान्यता घ्यावी व तदनंतर उपविभागीय कृषि अधिकारी यांनी तालुकानिहाय सोडतीची प्रक्रिया राबवावी.

या घटकाचा लाभ घेण्याकरीता अर्जदाराने पुढील कागदपत्रे सादर केली असणे आवश्यक आहे.

- संस्थेचे नोंदणी प्रमाणपत्र.
- लाभार्थी अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील असल्यास त्याबाबत प्राधीकृत अधिका-यांनी दिलेल्या वैध जात प्रमाणपत्राची प्रत.
- खरेदी करावयाच्या यंत्र/औजारे संचाचे दरपत्रक व परिक्षण पुरावा. (Test Report)
- आधारकार्ड संलग्न बँक खात्याच्या पासबुकाच्या पहिल्या पृष्ठाची छायांकित प्रत.
- संस्थेशी संबंधीत व्यक्तीच्या बँक खात्यात अनुदान जमा करण्यास संस्थेने प्राधीकृत केले असल्यास प्राधीकृत केल्याचे पत्र व संबंधीत व्यक्तीच्या आधार कार्ड/फोटो असलेल्या ओळखपत्राची स्वयंसाक्षात्कृत प्रत.

### ५. लाभार्थी निवडीनंतर करावयाची कार्यपध्दती -

कृषि आयुक्तालयाचे संदर्भिय पत्र दि. २ जून २०१७ मधील मार्गदर्शक सुचनानुसार लाभार्थीची निवड पूर्ण झाल्यानंतर सदर लाभार्थीस पुढील अटी व शर्ती मान्य करण्याचे अधिन राहून तालुका कृषि अधिकारी यांनी पुर्वसंमती प्रदान करावी.

- स्थापन करावयाच्या औजारे बँकेद्वारे शेती व्यवसायाशी निगडित कामे करणे बंधनकारक राहिल. इतर प्रकारच्या व्यापारी/ व्यवसायासाठी या सुविधेचा लाभ देता येणार नाही.
- संबंधीत अर्जदाराकडे कृषि यांत्रिकीकरण सेवा-सुविधा पुरविण्यासाठी आवश्यक अनुभव, प्रशिक्षित, अनुभवी व पुरेसे मनुष्यबळ असणे बंधनकारक राहिल. तसेच, सदर यंत्रसामुग्री व उपकरणे सुरक्षित व सुस्थितीत ठेवण्यासाठी आवश्यक जागा व शेडची व्यवस्था असणे बंधनकारक राहिल. जिल्हयातील पीकरचनेनुरूप आवश्यक असणा-या जमीनीची पूर्वमशागत ते पीक काढणी पश्चात तंत्रज्ञानासाठी आवश्यक सर्व यंत्रसामुग्री व उपकरणे संबंधीतांनी माफक भाडे तत्वावर उपलब्ध करून त्यांच्या सेवा शेतक-यांना वेळोवेळी पुरविणे बंधनकारक राहिल.
- लाभधारकाने कृषि यांत्रिकीकरण सेवा-सुविधा शेतक-यांना पुरविल्याबाबत आवश्यक अभिलेख ठेवणे व त्याचा नियमित अहवाल सादर करणे बंधनकारक राहिल. तसेच, याबाबत तपासणीच्या वेळी सर्व यंत्रसामुग्री/उपकरणे व अभिलेख सादर करणे बंधनकारक राहिल. अभिलेख नोंदणीचे प्रपत्र सहपत्रीत केले आहे. (प्रपत्र-४)
- सदर कार्यक्रमांतर्गत पुरविण्यात येणा-या यंत्रसामुग्री व उपकरणे यांची नियमित देखभाल व दुरुस्ती करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधीत लाभधारकांची राहिल. संबंधीत सेवा-सुविधा केंद्रे व्यवस्थित चालविणे व वेळोवेळी त्यात सुधारणा करण्याची तयारी असणे आवश्यक राहिल.
- सदर यंत्रसामुग्री व उपकरणे यांची परिवहन विभागाकडे नोंदणी (रजिस्ट्रेशन), विमा, कर भरण्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधीत लाभधारकांची राहिल.

- ६) यासाठी मार्गदर्शक सुचनांसोबत सहपत्रीत केलेल्या हमीपत्रानुसार बॉन्ड पेपरवर हमीपत्र सादर करणे संबंधीत लाभधारकांना बंधनकारक राहिल. (प्रपत्र-५)
- ७) रु. २५ लाखावरील खरेदीच्या कृषि औजारे बँकेच्या अनुदानासाठी प्रस्ताव बँक कर्ज प्रकरणाद्वारे सादर करणे आवश्यक असून अनुदानाची रक्कम बँक एन्डेड सबसीडी स्वरूपात बँक खात्यात जमा केली जाईल.
- ८) अशा प्रकरणी लाभार्थीने कर्जाऊ रकमेची परतफेड करण्याचा कालावधी ४ वर्षांपेक्षा कमी नसावा. लाभार्थी सदर केंद्र ६ वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वी ते हस्तांतरीत/ विक्री/ गहाण ठेऊ शकत नाही.
- ९) सदर लाभार्थ्यांस अनुदानावर मिळणा-या औजारांचे कोणत्याही परिस्थितीत पुढील किमान ६ वर्षे हस्तांतरण, पुनर्विक्री किंवा गहाण ठेवता येणार नाहीत. या कालावधीत त्यांना कृषि औजारे सेवा सुविधा पुरविणे बंधनकारक राहिल.
- १०) संबंधीत लाभधारकांसाठी त्यांना आवश्यक असलेल्या यंत्रसामुग्री व औजारांची त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील पीक रचनेनुसार निवड करावी.
- ११) प्रत्येक लाभधारक सेवा-सुविधा केंद्राची सेवा-सुविधा पुरविण्याची क्षमता किमान १० हेक्टर प्रती दिवस आणि किमान ३०० हेक्टर प्रती कृषि हंगाम क्षेत्रासाठी असणे बंधनकारक राहिल.

ज्या संस्थांना / गटांना यापूर्वी कृषि यांत्रिकीकरण सेवा सुविधा पुरवठ्यासाठी लाभ देण्यात आला आहे अशा गटांची फेर निवड करण्यात येवू नये. वरील निकषांव्यतिरिक्त योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीच्या दृष्टीने स्थानीक परिस्थितीनुरूप आवश्यक ते अतिरिक्त निकष जिल्हा स्तरीय समितीने ठरविण्यास हरकत नाही.

**६. भौतिक/आर्थिक लक्षांक - घटक क्र. ४** चा जिल्हा निहाय अंतरीम भौतिक/आर्थिक लक्षांकाचा तपशील आयुक्तालयाचे संदर्भिय पत्र दि. १७/०५/२०१७ अन्वये निर्गमित करण्यात आला आहे.

**७. लक्षांक बदलाचे अधिकार - घटक क्र ४** करीता जिल्ह्यांतर्गत प्राप्त पात्र अर्जदारांनुसार उपविभागांतर्गत /तालुकांतर्गत लक्षांकात काही बदल करणे क्रमप्राप्त असल्यास असे बदल करण्याचे अधिकार संबंधीत जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांना राहतील. सदर बदल जिल्हास्तरीय कार्यकारी समितीच्या मान्यतेने करण्यात यावेत. तसेच, विभागांतर्गत एखाद्या जिल्ह्यातील लक्षांकात बदल करावयाचे झाल्यास त्याचे अधिकार संबंधीत विभागीय कृषि सहसंचालक यांना राहतील. तथापि, सदर बदल प्रवर्गनिहाय मंजूर आर्थिक तरतुदीच्या मर्यादेतच करणे बंधनकारक राहिल. एखाद्या विभागात घटक ४ अंतर्गत वितरीत लक्षांक साध्य होत नसेल अशा प्रकरणी आयुक्तालयास तसे तात्काळ कळविणे आवश्यक आहे. सदर लक्षांक मागणी असलेल्या इतर विभागांना आयुक्तालय स्तरावरून वितरीत करण्यात येईल. कुठल्याही परिस्थितीत घटक क्र. ४ चा आर्थिक लक्षांक घटक क्र. ३ वर खर्च करण्यात येणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

#### ८. औजारे/ उपकरणांची निवड :

सदर उपअभियानातील घटक क्र ४ अंतर्गत शासन निर्णय दि. १३/०४/२०१७ मध्ये समाविष्ट यंत्र/औजारांनाच (Tractor and basket of implements) अनुदान अनुज्ञेय राहिल. सदर यादी सोबत सहपत्रित केली आहे. (प्रपत्र-१)

सदर उपअभियानांतर्गत केंद्र शासनाने शेतकरी प्रवर्ग निहाय व औजारेप्रकार निहाय अनुदानाच्या उच्चतम मर्यादा निर्धारित केल्या आहेत. त्याचा तपशिल सोबत प्रपत्र - १ मध्ये सहपत्रीत केला आहे. औजारांचे प्रकारानुसार व त्यासाठी आवश्यक असलेल्या ट्रॅक्टरच्या अश्वशक्तीवर वर (एच.पी.) आधारीत अनुदान दर वेगवेगळे असल्याने ज्या गटातील औजारांची मागणी असेल त्या गटाच्या निर्धारित उच्चतम मर्यादेपर्यंतच अनुदान अनुज्ञेय राहिल.

#### ९. अनुदान अदायगीची कार्यपध्दती -

लाभधारकाने पुर्वसंमतीनुसार खुल्या बाजारातून औजारे खरेदी केल्यानंतर खरेदीची पावती अनुदान मागणीसाठी संबंधीत तालुका कृषि अधिकारी यांचेकडे सादर करावी.

तालुका कृषि अधिकारी यांनी लाभधारकांच्या प्राप्त प्रकरणांची प्रत्यक्ष तपासणी करणेसाठी जिल्हा स्तरीय संयुक्त तपासणी पथकास शिफारस करावी. जिल्हा स्तरीय संयुक्त तपासणी पथकाने प्रत्यक्ष औजारे बँक स्थापन करण्यात आलेल्या स्थळी भेट देवून त्याचे प्रयोजनासह खात्री करावी. सदर पथकात संबंधीत उपविभागीय कृषि अधिकारी, कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद व संबंधीत तालुका कृषि अधिकारी यांचा समावेश राहिल. सदर संयुक्त पथक जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांचे अधिनस्त कार्यरत राहिल. औजारे बँकसाठी सर्व औजारांची निर्धारित मानकांनुसार खरेदी केल्याची व विमा, कर इत्यादी भरणा केल्याची खात्री तपासणी पथकाने करावी. सदर पथकाने सोबत सहपत्रीत केलेल्या संयुक्त तपासणी प्रपत्राचे (प्रपत्र-६) नमुन्यात सर्व नोंदी करून स्वाक्षरी करावी. सदर पथकाच्या प्रत्यक्ष तपासणी नंतरच संबंधीत लाभधारकांस अनुदान अनुज्ञेय राहिल. संयुक्त तपासणी पथकाच्या अहवालाची एक प्रत त्यांनी लाभधारकास द्यावी. तपासणीनंतर तालुका कृषि अधिकारी यांनी सदर लाभधारकास अनुदान अदायगीसाठी उपविभागीय कृषि अधिकारी यांना कळवावे. उपविभागीय कृषि अधिकारी यांनी अनुदानाची रक्कम १५ दिवसांच्या आत लाभार्थीच्या आधार संलग्न बँक खात्यात जमा करायची आहे. त्यानुसार उपविभागीय

कृषि अधिकारी यांच्याकडे अनुदान उपलब्ध असल्यासच १५ कार्यालयीन दिवसांमध्ये अनुदान अदा करण्याचे त्यांच्यावर बंधनकारक राहिल, अन्यथा त्यांनी वरीष्ठ कार्यालयाकडे अनुदानाची मागणी करावी.

घटक ४ अंतर्गत लाभ घेतलेल्या संस्था/गटांचा तपशील औजारांच्या यादिसह संबंधीत ग्रामपंचायत फलकावर, मंडळ कृषि अधिकारी कार्यालय, तालुका कृषि अधिकारी कार्यालय, उपविभागीय कृषि अधिकारी कार्यालय, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी कार्यालय, कृषि विभागाचे वार्ताफलक तसेच तलाठी कार्यालय, तहसीलदार कार्यालय व जिल्हाधिकारी कार्यालय येथील फलकावर प्रदर्शित करण्यात यावा.

**१०. संनियंत्रण :** सदर उपअभियानांतर्गत स्थापीत कृषि यांत्रिकीकरण सेवा-सुविधा केंद्रांचे (औजारे बँकेचे) पर्यवेक्षण जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांनी करावयाचे असून जिल्ह्यात स्थापन औजारे बँकांचे तालुकानिहाय भाड्याचे प्रती औजार, प्रती तास/दिवस, प्रती हेक्टर भाडेदर निर्धारित करून त्यानुसार भाडेआकारणी बाबत जिल्हा स्तरावर अंमलबजावणीचे सर्वस्वी संनियंत्रण करावे. सदर केंद्रे ज्या हेतूने स्थापन करण्यात येत आहेत त्यानुसार काम करतील, सदर क्षेत्रातील प्राधान्याने अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतक-यांना प्रचलीत भाडे दरापेक्षा किमान २५ टक्के कमी दराने सेवा-सुविधा पुरविली जाईल, केंद्रे पूर्ण क्षमतेने कार्यरत राहतील हे तपासण्याची, वेळोवेळी त्यांना सुचना देण्याची व आवश्यकतेनुसार कार्यवाही करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधीत जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांची राहिल. याबाबत संबंधीत उपविभागीय कृषि अधिकारी, कृषि विकास अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी यांचे समन्वयाने कार्यवाही करावी. त्यांचीही सदर प्रक्रीयेत तेवढीच जबाबदारी राहिल.

### ११. भागीदारी :

सार्वजनिक खाजगी भागीदारीतूनही (पीपीपी तत्वावर) कृषि यांत्रिकीकरण सेवा-सुविधा केंद्रे (कृषि औजारे बँक) उत्पादकांनी स्थापन करण्यास हरकत नाही. उत्पादक/पुरवठादार यांना जिल्ह्यात स्थापन करण्यात येणा-या केंद्रांना देखभाल, दुरुस्तीबाबत कार्यवाहीसाठी प्रोत्साहित करावे. अद्यावत कृषि औजारांची उपयुक्तता व माहिती मिळण्याचे दृष्टीने त्यांनी लाभधारकांच्या सहभागाने जवळपासच्या जिल्ह्यात, केंद्रांवर भेटी आयोजित कराव्यात. सदर केंद्रांबरोबर वार्षिक देखभाल करार करणे, सुट्याभागांचा पुरवठा करणे इत्यादीसाठी उत्पादक/पुरवठादार यांनी सहभाग देण्यासाठी त्यांना प्रवृत्त करावे.

### इ) तपासणी संस्था व त्यांनी तपासणी करावयाच्या औजारांचा तपशील -

लाभार्थींनी खरेदी करावयाची औजारे केंद्रीय तपासणी संस्था किंवा केंद्र शासनाने मान्यता दिलेल्या संस्थांकडून तपासणी केलेली असणे बंधनकारक असून त्यांनाच अनुदान अनुज्ञेय राहिल.

**१) केंद्रीय तपासणी संस्था-** केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांमध्ये नमुद केल्यानुसार केंद्रीय तपासणी संस्था व त्यांनी तपासणी करावयाच्या औजारांचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे.

| अ.क्र. | केंद्रीय तपासणी संस्थेचे नाव   | तपासणी करावयाची औजारे/उपकरणे/मशीन्स  |
|--------|--|--|
| १      | केंद्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण व तपासणी संस्था, बुधनी (CFMTTI, Budni)  | ट्रॅक्टर, पॉवर टीलर व इतर स्वयंचलीत मशीन्स.                                    |
| २      | उत्तर क्षेत्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण व तपासणी संस्था, हिस्सार (NRFMTTI, Hissar)   | पीक संरक्षण उपकरणे व इतर स्वयंचलीत पीक उत्पादक उपकरणे व मशीन्स.                |
| ३      | दक्षीण क्षेत्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण व तपासणी संस्था, गार्लॅडीन (SRFMTTI, Garladinne)                                    | पॉवर टीलर व इतर स्वयंचलीत पीक उत्पादक मशीन्स, पॉवर/उर्जा चलीत उपकरणे व मशीन्स. |
| ४      | उत्तर पूर्व क्षेत्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण व तपासणी संस्था, बीश्वनाथ चारीअली, आसाम (NERFMTTI, Biswanath Chariali (Assam)) | पॉवर/उर्जा चलीत उपकरणे व मशीन्स. स्वयंचलीत नसलेली उपकरणे                       |

### २) केंद्र शासनाची मान्यता प्राप्त तपासणी संस्था -

केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांमध्ये स्वयंचलीत नसलेली सर्व औजारे/उपकरणे यांची तपासणी परिशिष्ट क्र. V मधील नमुद तपासणी संस्थांनी करावी असे नमुद केले आहे. त्याव्यतिरीक्त भारतीय मानक संस्थेचे वैध मानांकनधारक औजारांनाही अनुदान अनुज्ञेय राहिल. परिशिष्ट क्र. V नुसार मान्यता दिलेल्या २९ तपासणी संस्थांचा तपशील सोबत सहपत्रित (प्रपत्र-७) करण्यात येत आहे. सदर तपशील केंद्र शासनाच्या (<http://farmech.dac.gov.in>) संकेत स्थळावरही उपलब्ध आहे.

ई) तपासणी/परिक्षण प्रमाणपत्र /पुरावा सादर करण्याची आवश्यकता नसलेली औजारे -

१. ट्रॅक्टर व पॉवर टीलर्स -

केंद्र शासनाने योजनांतर्गत पुरवठ्यासाठी अनुदानास पात्र असलेल्या ट्रॅक्टर व पॉवर टीलर्सच्या मॉडेल्सची यादी केंद्र शासनाच्या संकेत स्थळावर (<http://farmech.dac.gov.in>) उपलब्ध करून दिली आहे. योजनांतर्गत पुरवठ्यासाठी अनुदानास पात्र असलेल्या ट्रॅक्टरची यादी आयुक्तालयाचे पत्र दि. १४/०३/२०१७ अन्वये तसेच पॉवर टीलर्सची यादी आयुक्तालयाचे पत्र दि.०८/०६/२०१७ अन्वये क्षेत्रीय स्तरावर निर्गमित केली असून सुलभतेच्या दृष्टीने सदर यादी कृषि विभागाच्या <http://krishi.maharashtra.gov.in> या संकेत स्थळावर सुध्दा प्रसिध्द केली आहे. ट्रॅक्टर व पॉवर टीलर्सच्या यादीत वेळोवेळी अंतर्भाव केल्या जाणा-या मॉडेल्सचा तपशील उपरोक्त संकेत स्थळावरून पहावा. ट्रॅक्टर व पॉवर टीलर्सच्या केंद्र शासनाने शिफारस केलेल्या यादीतील मॉडेल/मेकलाच अनुदान अनुज्ञेय असून केंद्र शासनाच्या यादीव्यतीरीक्त इतर ट्रॅक्टर व पॉवर टीलर्सला अनुदान देय राहणार नाही. तसेच केंद्र शासनाच्या यादीतील ट्रॅक्टर व पॉवर टीलर्स करीता लाभार्थीस तपासणी प्रमाणपत्र/पुरावा सादर करण्याची आवश्यकता नाही, याची नोंद घ्यावी.

२. केंद्र शासनाने योजनांतर्गत पुरवठ्यासाठी अनुदानास पात्र असलेल्या रिपर, रिपर कम बाईंडर, पॅडी ट्रान्सप्लॉटर, थ्रेशर, पावर विडर या यंत्रे/औजारांची यादी केंद्र शासनाच्या <http://farmech.dac.gov.in> या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. तसेच सदर यादी आयुक्तालयाचे पत्र दि. ०२/०६/२०१७ अन्वये कृषि विभागाच्या <http://krishi.maharashtra.gov.in> या संकेतस्थळावर तसेच कृषि विभागाच्या सर्व कार्यालयांना उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. केंद्र शासनाच्या यादीमध्ये समाविष्ट रिपर, रिपर कम बाईंडर, पॅडी ट्रान्सप्लॉटर, थ्रेशर, पावर विडर या यंत्रे/औजारांच्या मॉडेल /मेकलाच अनुदान अनुज्ञेय असून सदर यादीतील औजारे लाभार्थींनी खरेदी केल्यास त्याबाबत परिक्षण अहवाल / प्रमाणपत्र / पुरावा सादर करण्याची आवश्यकता राहणार नाही.

३. तसेच ज्या कृषि यंत्र / औजारांचे परिक्षण झालेले आहे त्याचा तपशील कृषि विभागाचे संकेतस्थळावर तसेच कृषि विभागाच्या सर्व कार्यालयांना उपलब्ध करून देण्यात येईल. शेतकऱ्यांनी सदर यादीतील यंत्र / औजारांची खरेदी केल्यास त्याबाबत परिक्षण अहवाल / प्रमाणपत्र / पुरावा सादर करण्याची त्यांना आवश्यकता राहणार नाही.

उ. उपरोक्त नमुद मुद्दा क्र. ई व्यतीरीक्त इतर यंत्रे / औजारांची खरेदी करण्याचा लाभार्थींचा मानस असल्यास, त्यांनी विक्रेत्यांकडून सदर यंत्र / औजारांबाबत सक्षम संस्थेने दिलेल्या परिक्षण प्रमाणपत्राचा पुरावा सादर करणे बंधनकारक राहिल.

ऊ. आयुक्तालयाचे पत्र जा.क्र. /उत्पादक माहिती/एम्बास/२०१७-१८/२०१/गुनि-५/२०१७, दि. ३०/०३/२०१७ अन्वये उत्पादकांना त्यांचे उत्पादीत यंत्र/ औजारांवर परिक्षण अहवाल क्रमांक व मॉडेल क्रमांक Emboss करणेबाबत कळविले आहे. त्यानुसार संबंधीत कंपनीने यंत्र/ औजारांवर परिक्षण अहवाल क्रमांक व मॉडेल क्रमांक Emboss करणे आवश्यक राहिल.

ए. अहवाल :सदर कार्यक्रमांतर्गत भौतिक/आर्थिक साध्याचा अहवाल विहित प्रपत्रात नियमीतपणे दर महिन्याच्या २ तारखेपर्यंत सादर करणे जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांना बंधनकारक राहिल.

सदर मार्गदर्शक सूचना कृषि विभागाच्या <http://krishi.maharashtra.gov.in> या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत.

सोबत : प्रपत्रे १ ते ७



(अशोक लोखंडे)

कृषि संचालक (नि. व गु. नि.)

कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे

प्रत - माहितीस्तव सादर -

१. मा. प्रधान सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२.

२. श्री. सु. स. धपाटे, उपसचिव, कृषि- ४ अ, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२.

प्रपत्र - १

कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियानांतर्गत घटकनिहाय अनुदानाचा तपशिल  
कृषि औजारे/मशिनरी/उपकरणे यांचे खरेदिसाठी अर्थसहाय्याचा दर

| अ. न.   | कृषि औजाराचा प्रकार  | अ.जा., अ.ज., अल्प व अत्यल्प<br>भुधारक शेतकरी व महिला<br>लाभार्थीसाठी |                        | इतर लाभार्थीसाठी                              |                        |
|---|--|--|------------------------|---|------------------------|
|   |  | मंजूर कमाल अनुदान<br>मर्यादा प्रती यंत्र/औजार                        | अनुदानाची<br>टक्केवारी | मंजूर कमाल अनुदान<br>मर्यादा प्रती यंत्र/औजार | अनुदानाची<br>टक्केवारी |
| १   | २  | ३  | ४                      | ५   | ६                      |
| <b>अ. ट्रॅक्टर</b>  |  |  |                        |   |                        |
| १   | ट्रॅक्टर (०८-१५ पी.टी.ओ. एच.पी.)                               | रु. १.०० लाख   | ३५ टक्के               | रु. ०.७५ लाख                                  | २५ टक्के               |
| २   | ट्रॅक्टर (१५-२० पी.टी.ओ. एच.पी.)                               | रु. १.०० लाख   | ३५ टक्के               | रु. ०.७५ लाख                                  | २५ टक्के               |
| ३   | ट्रॅक्टर (२०-४० पी.टी.ओ. एच.पी. पेक्षा जास्त)                  | रु. १.२५ लाख   | ३५ टक्के               | रु. १.०० लाख                                  | २५ टक्के               |
| ४   | ट्रॅक्टर (४०-७० पी.टी.ओ. एच.पी.)                               | रु. १.२५ लाख   | ३५ टक्के               | रु. १.०० लाख                                  | २५ टक्के               |
| <b>ब. पॉवर टिलर</b>   |  |  |                        |   |                        |
| १   | पॉवर टिलर (८ बी.एच.पी. पेक्षा कमी)                             | रु. ०.५० लाख   | ५० टक्के               | रु. ०.४० लाख                                  | ४० टक्के               |
| २   | पॉवर टिलर (८ बी.एच.पी. आणि त्यापेक्षा जास्त)                   | रु. ०.७५ लाख   | ५० टक्के               | रु. ०.६० लाख                                  | ४० टक्के               |
| <b>क. भात लावणी यंत्र / पॅडी ट्रान्सप्लान्टर</b>                                    |  |  |                        |   |                        |
| १   | स्वयंचलीत पॅडी ट्रान्सप्लान्टर (४ रांगा/ओळी)                   | रु. ०.९४ लाख   | ५० टक्के               | रु. ०.७५ लाख                                  | ४० टक्के               |
| <b>स्वयंचलीत पॅडी ट्रान्सप्लान्टर</b>   |  |  |                        |   |                        |
| १   | ४- ८ रांगा पेक्षा जास्त  | रु. २.०० लाख   | ४० टक्के               | रु. २.०० लाख                                  | ४० टक्के               |
| २   | ८-१६ रांगा पेक्षा जास्त  |  |                        |   |                        |
| <b>ड. स्वयंचलीत यंत्रे</b>  |  |  |                        |   |                        |
| १   | स्वयंचलीत यंत्रे - रीपर कम बाईंडर                              | रु. १.२५ लाख   | ५० टक्के               | रु. १.०० लाख                                  | ४० टक्के               |
| <b>ii) स्पेशलाईज्ड स्वयंचलीत यंत्रे</b>   |  |  |                        |   |                        |
| १   | रीपर   | रु. ०.६३ लाख   | ५० टक्के               | रु. ०.५० लाख                                  | ४० टक्के               |
| २   | न्युमॅटीक/ इतर प्लॅन्टर  |  |                        |   |                        |
| <b>1. ट्रॅक्टर / पॉवर टिलर (२० बी.एच.पी. पेक्षा कमी) चलीत औजारे / उपकरणे</b>        |  |  |                        |   |                        |
| <b>अ. लॅन्ड डेव्हलपमेंट, टीलेज व सीड बेड तयार करण्यासाठी लागणारी औजारे / उपकरणे</b> |  |  |                        |   |                        |
| १   | कल्टीव्हेटर  | रु. ०.१५ लाख   | ५० टक्के               | रु. ०.१२ लाख                                  | ४० टक्के               |
| २   | रोटाव्हेटर   | रु. ०.३५ लाख   | ५० टक्के               | रु. ०.२८ लाख                                  | ४० टक्के               |
| ३   | रोटो कल्टीव्हेटर   |  |                        |   |                        |
| <b>ब. सोईंग, प्लान्टींग, रीपींग व डिगींग इक्विपमेंट</b>                             |  |  |                        |   |                        |
| १   | बटाटा प्लॅन्टर   | रु. ०.१५ लाख   | ५० टक्के               | रु. ०.१२ लाख                                  | ४० टक्के               |
| २   | ट्रॅक्टर डॉन रीपर  |  |                        |   |                        |
| ३   | झीरो टील सीड कम फर्टीलायझर ड्रिल                               |  |                        |   |                        |
| ४   | रेज्ड बेड प्लॅन्टर   |  |                        |   |                        |
| ५   | प्लॅन्टर   |  |                        |   |                        |
| ६   | सीड ड्रिल  |  |                        |   |                        |
| ७   | मल्टी क्रॉप प्लॅन्टर   |  |                        |   |                        |
| ८   | झीरो टील मल्टी क्रॉप प्लॅन्टर                                  |  |                        |   |                        |
| ९   | रीज फरो प्लॅन्टर   |  |                        |   |                        |
| १०  | न्युमॅटीक प्लॅन्टर   |  |                        |   |                        |
| ११  | न्युमॅटीक व्हेजीटेबल ट्रान्सप्लॅन्टर                           | रु. ०.३५ लाख   | ५० टक्के               | रु. ०.२८ लाख                                  | ४० टक्के               |
| १२  | न्युमॅटीक व्हेजीटेबल सीडर                                      |  |                        |   |                        |
| १३  | हॅपी सीडर  |  |                        |   |                        |
| १४  | सीड कम फर्टीलायझर ड्रिल  |  |                        |   |                        |
| १५  | अँक्वा फर्टी सीड ड्रिल   |  |                        |   |                        |
| १६  | रेज्ड बेड प्लॅन्टर इन्काईन्ड प्लेट प्लान्टर व शेपर अँटचमेंट सह |  |                        |   |                        |
| १७  | मलचर (उस पीकाकरीता)  |  |                        |   |                        |
| <b>क. इंटर कल्टीव्हेशन इक्विपमेंट</b>   |  |  |                        |   |                        |
| १   | पॉवर वीडर (ईजीन ऑपरेटेड २ बीएचपी पेक्षा कमी)                   | रु. ०.१५ लाख   | ५० टक्के               | रु. ०.१२ लाख                                  | ४० टक्के               |
| <b>ड. इक्विपमेंट फॉर रेसीड्यु मॅनेजमेंट / हे अँन्ड फोरेज इक्विपमेंट</b>             |  |  |                        |   |                        |
| १   | शुगर केन थ्रेश कटर   | रु. ०.१५ लाख   | ५० टक्के               | रु. ०.१२ लाख                                  | ४० टक्के               |
| २   | स्ट्रॉ रीपर  |  |                        |   |                        |

प्रपत्र - १

कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियानांतर्गत घटकनिहाय अनुदानाचा तपशिल  
कृषि औजार/मशिनरी/उपकरणे यांचे खरेदिसाठी अर्थसहाय्याचा दर

| अ. न. | कृषि औजाराचा प्रकार   | अ.जा., अ.ज., अल्प व अत्यल्प<br>भुधारक शेतकरी व महिला<br>लाभार्थीसाठी |                        | इतर लाभार्थीसाठी                              |                        |
|-------|---|--|------------------------|---|------------------------|
|       |   | मंजूर कमाल अनुदान<br>मर्यादा प्रती यंत्र/औजार                        | अनुदानाची<br>टक्केवारी | मंजूर कमाल अनुदान<br>मर्यादा प्रती यंत्र/औजार | अनुदानाची<br>टक्केवारी |
| १     | २   | ३  | ४                      | ५   | ६                      |
| इ.    | हारव्हेस्टींग अॅन्ड थ्रेशींग इक्विपमेंट (इंजीन / इलेक्ट्रीक मोटार चलीत ३ एच पी पेक्षा कमी व पॉवर टीलर आणि ट्रॅक्टर चलीत २० बीएचपी पेक्षा कमी) |  |                        |   |                        |
| १     | थ्रेशर  | रु. ०.२० लाख   | ५० टक्के               | रु. ०.१६ लाख                                  | ४० टक्के               |
| २     | मल्टी क्रॉप थ्रेशर  |  |                        |   |                        |
| ३     | पॅडी थ्रेशर   |  |                        |   |                        |
| ४     | रीपर  |  |                        |   |                        |
| II.   | ट्रॅक्टर (२० बी.एच.पी. पेक्षा जास्त ते ३५ बी.एच.पी. ) चलीत औजार / उपकरणे  |  |                        |   |                        |
| अ.    | लॅन्ड डेव्हलपमेंट, टीलेज व सीड बेड तयार करण्यासाठी लागणारी औजार / उपकरणे  |  |                        |   |                        |
| १     | कल्टीव्हेटर   | रु. ०.१९ लाख   | ५० टक्के               | रु. ०.१५ लाख                                  | ४० टक्के               |
| २     | रोटाव्हेटर  | रु. ०.४४ लाख   | ५० टक्के               | रु. ०.३५ लाख                                  | ४० टक्के               |
| ३     | रोटो कल्टीव्हेटर  |  |                        |   |                        |
| ब.    | सोईंग, प्लान्टींग, रीपींग व डिगींग इक्विपमेंट   |  |                        |   |                        |
| १     | बटाटा प्लॅन्टर  | रु. ०.१९ लाख   | ५० टक्के               | रु. ०.१५ लाख                                  | ४० टक्के               |
| २     | ट्रॅक्टर डॉन रीपर   |  |                        |   |                        |
| ३     | झीरो टील सीड कम फर्टीलायझर ड्रिल  |  |                        |   |                        |
| ४     | रेज्ड बेड प्लॅन्टर  |  |                        |   |                        |
| ५     | प्लॅन्टर  |  |                        |   |                        |
| ६     | सीड ड्रिल   |  |                        |   |                        |
| ७     | मल्टी क्रॉप प्लॅन्टर  |  |                        |   |                        |
| ८     | झीरो टील मल्टी क्रॉप प्लॅन्टर   |  |                        |   |                        |
| ९     | रीज फरो प्लॅन्टर  |  |                        |   |                        |
| १०    | सीड कम फर्टीलायझर ड्रिल   |  |                        |   |                        |
| ११    | टर्बो सीडर  | रु. ०.४४ लाख   | ५० टक्के               | रु. ०.३५ लाख                                  | ४० टक्के               |
| १२    | न्युमॅटीक प्लॅन्टर  |  |                        |   |                        |
| १३    | न्युमॅटीक व्हेजीटेबल ट्रान्सप्लॅन्टर  |  |                        |   |                        |
| १४    | न्युमॅटीक व्हेजीटेबल सीडर   |  |                        |   |                        |
| १५    | हॅपी सीडर   |  |                        |   |                        |
| १६    | रेज्ड बेड प्लॅन्टर इन्काईन्ड प्लेट प्लान्टर व शोपर<br>अॅटॅचमेंट सह  |  |                        |   |                        |
| १७    | मल्टर (उस पीकाकरीता)  |  |                        |   |                        |
| क.    | इंटर कल्टीव्हेशन इक्विपमेंट   |  |                        |   |                        |
| १     | पॉवर वीडर(इंजीन ऑपरेटेड २ बीएचपी पेक्षा जास्त)  | रु. ०.१९ लाख   | ५० टक्के               | रु. ०.१५ लाख                                  | ४० टक्के               |
| ड.    | इक्विपमेंट फॉर रेसीड्यु मॅनेजमेंट / हे अॅन्ड फोरेज इक्विपमेंट   |  |                        |   |                        |
| १     | शुगर केन थ्रेश कटर  | रु. ०.१९ लाख   | ५० टक्के               | रु. ०.१५ लाख                                  | ४० टक्के               |
| २     | स्ट्रॉ रीपर   |  |                        |   |                        |
| इ.    | हारव्हेस्टींग अॅन्ड थ्रेशींग इक्विपमेंट (इंजीन / इलेक्ट्रीक मोटार चलीत ५ एच पी पेक्षा कमी व पॉवर टीलर आणि ट्रॅक्टर चलीत ३५ बीएचपी पेक्षा कमी) |  |                        |   |                        |
| १     | थ्रेशर  | रु. ०.२५ लाख   | ५० टक्के               | रु. ०.२० लाख                                  | ४० टक्के               |
| २     | मल्टी क्रॉप थ्रेशर  |  |                        |   |                        |
| ३     | पॅडी थ्रेशर   |  |                        |   |                        |
| ४     | रीपर  |  |                        |   |                        |
| III.  | ट्रॅक्टर (३५ बी.एच.पी. पेक्षा जास्त ) चलीत औजार / उपकरणे  |  |                        |   |                        |
| अ.    | लॅन्ड डेव्हलपमेंट, टीलेज व सीड बेड तयार करण्यासाठी लागणारी औजार / उपकरणे  |  |                        |   |                        |
| १     | कल्टीव्हेटर   | रु. ०.४४ लाख   | ५० टक्के               | रु. ०.३५ लाख                                  | ४० टक्के               |
| २     | रोटाव्हेटर  | रु. ०.६३ लाख   | ५० टक्के               | रु. ०.५० लाख                                  | ४० टक्के               |
| ३     | सब सॉइलर  |  |                        |   |                        |
| ४     | रोटो कल्टीव्हेटर  |  |                        |   |                        |



प्रपत्र - १

कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियानांतर्गत घटकनिहाय अनुदानाचा तपशिल  
कृषि औजारे/मशिनरी/उपकरणे यांचे खरेदिसाठी अर्थसहाय्याचा दर

| अ. न.   | कृषि औजाराचा प्रकार  | अ.जा., अ.ज., अल्प व अत्यल्प<br>भुधारक शेतकरी व महिला<br>लाभार्थीसाठी |                        | इतर लाभार्थीसाठी                              |                        |
|---|--|--|------------------------|---|------------------------|
|   |  | मंजुर कमाल अनुदान<br>मर्यादा प्रती यंत्र/औजार                        | अनुदानाची<br>टक्केवारी | मंजुर कमाल अनुदान<br>मर्यादा प्रती यंत्र/औजार | अनुदानाची<br>टक्केवारी |
| १   | २  | ३  | ४                      | ५   | ६                      |
| <b>ब. सोईंग, प्लान्टींग, रीपींग व डिगींग इक्विपमेंट</b>   |  |  |                        |   |                        |
| १   | झीरो टील सीड कम फटीलायझर झील   | रु. ०.४४ लाख   | ५० टक्के               | रु. ०.३५ लाख                                  | ४० टक्के               |
| २   | रेज्ड बेड प्लॅन्टर   |  |                        |   |                        |
| ३   | सीड झील  |  |                        |   |                        |
| ४   | ट्रॅक्टर ड्रॉन रीपर  |  |                        |   |                        |
| ५   | सीड कम फटीलायझर झील  |  |                        |   |                        |
| ६   | बटाटा प्लॅन्टर   | रु. ०.६३ लाख   | ५० टक्के               | रु. ०.५० लाख                                  | ४० टक्के               |
| ७   | शुगर केन कटर/स्ट्रीपर/प्लॅन्टर   |  |                        |   |                        |
| ८   | मल्टी क्रॉप प्लॅन्टर   |  |                        |   |                        |
| ९   | झीरो टील मल्टी क्रॉप प्लॅन्टर  |  |                        |   |                        |
| १०  | रीज फरो प्लॅन्टर   |  |                        |   |                        |
| ११  | टर्बो सीडर   |  |                        |   |                        |
| १२  | न्युमॅटीक प्लॅन्टर   |  |                        |   |                        |
| १३  | न्युमॅटीक व्हेजीटेबल ट्रान्सप्लॅन्टर   |  |                        |   |                        |
| १४  | न्युमॅटीक व्हेजीटेबल सीडर  |  |                        |   |                        |
| १५  | हॅपी सीडर  |  |                        |   |                        |
| १६  | कसावा प्लॅन्टर   |  |                        |   |                        |
| १७  | रेज्ड बेड प्लॅन्टर इन्काईन्ड प्लेट प्लान्टर व शेपर अॅटॅचमेंट सह  |  |                        |   |                        |
| १८  | मल्वर (उस पीकाकरीता)   |  |                        |   |                        |
| <b>क. इंटर कल्टीव्हेशन इक्विपमेंट</b>   |  |  |                        |   |                        |
| १   | वीडर (पी. टी. ओ. ऑपरेटेड)  | रु. ०.६३ लाख   | ५० टक्के               | रु. ०.५० लाख                                  | ४० टक्के               |
| <b>ड. हारव्हेस्टींग अॅन्ड थ्रेशींग इक्विपमेंट (इंजीन/इलेक्ट्रीक मोटार चलीत ५ एच पी पेक्षा जास्त व पॉवर टीलर आणि ट्रॅक्टर चलीत ३५ बीएचपी पेक्षा जास्त)</b> |  |  |                        |   |                        |
| १   | थ्रेशर / मल्टी क्रॉप थ्रेशर  | रु. ०.६३ लाख   | ५० टक्के               | रु. ०.५० लाख                                  | ४० टक्के               |
| २   | पॅडी थ्रेशर  |  |                        |   |                        |
| ३   | रीपर   |  |                        |   |                        |
| <b>इ. इक्विपमेंट फॉर रेसीड्यु मॅनेजमेंट / हे अॅन्ड फोरेज इक्विपमेंट</b>   |  |  |                        |   |                        |
| १   | शुगर केन थ्रेश कटर   | रु. ०.६३ लाख   | ५० टक्के               | रु. ०.५० लाख                                  | ४० टक्के               |
| २   | स्ट्रॉ रीपर  |  |                        |   |                        |
| <b>IV. पीक संरक्षण उपकरणे</b>   |  |  |                        |   |                        |
| १   | ट्रॅक्टर माऊंटेड/ऑपरेटेड स्प्रेयर ( २० बी. एच. पी.पेक्षा कमी)  | रु. ०.१० लाख   | ५० टक्के               | रु. ०.०८ लाख                                  | ४० टक्के               |
| २   | ट्रॅक्टर माऊंटेड/ऑपरेटेड स्प्रेयर ( ३५ बी. एच. पी.पेक्षा कमी)  | रु. ०.१३ लाख   | ५० टक्के               | रु. ०.१० लाख                                  | ४० टक्के               |
| ३   | ट्रॅक्टर माऊंटेड/ऑपरेटेड स्प्रेयर ( ३५ बी. एच. पी.पेक्षा जास्त)  | रु. ०.६३ लाख   | ५० टक्के               | रु. ०.५० लाख                                  | ४० टक्के               |
| <b>V. काढणी पश्चात तंत्रज्ञान उपकरणे</b>  |  |  |                        |   |                        |
| <b>अ. अन्नधान्य / गळित धान्य व फलोत्पादन पीकांसाठी काढणी पश्चात तंत्रज्ञान उपकरणे</b>   |  |  |                        |   |                        |
| १   | मीनी राईस मील  | रु. १.५० लाख   | ६० टक्के               | रु. १.२५ लाख                                  | ५० टक्के               |
| २   | मीनी दाळ मील   |  |                        |   |                        |
| ३   | पॅकिंग मशीन (सर्व प्रकारच्या फलोत्पादन /अन्नधान्य / गळित धान्य पीकांसाठी )   |  |                        |   |                        |
| ४   | सर्व प्रकारचे ग्राईंडर/पल्व्हराइजर/पॉलीशर (सर्व प्रकारच्या फलोत्पादन /अन्नधान्य / गळित धान्य पीकांसाठी )                                       | रु. ०.४४ लाख   | ५० टक्के               | रु. ०.३५ लाख                                  | ४० टक्के               |
| ५   | सर्व प्रकारचे क्लीनर कम ग्रेडर /प्रीडियंट सेपरेटर/ स्पेसीफीक ग्रॅन्हीटी सेपरेटर (सर्व प्रकारच्या फलोत्पादन /अन्नधान्य / गळित धान्य पीकांसाठी ) |  |                        |   |                        |

प्रपत्र - २

कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियानांतर्गत घटकनिहाय अनुदानाचा तपशिल  
घटक नं ३ - कृषि औजारे/मशिनरी/उपकरणे यांचे खरेदिसाठी अर्थसहाय्याचा दर  
सर्व मनुष्य चलीत/ प्राणी चलीत औजारे/उपकरणे/टुल्स

| अ. न.   | कृषि औजाराचा प्रकार             | अ.जा., अ.ज., अल्प व अत्यल्प भुधारक शेतकरी व महिला लाभार्थीसाठी |                     | इतर लाभार्थीसाठी                           |                     |
|---|---------------------------------|--|---------------------|--|---------------------|
|   |                                 | मंजूर कमाल अनुदान मर्यादा प्रती यंत्र/ औजार                    | अनुदानाची टक्केवारी | मंजूर कमाल अनुदान मर्यादा प्रती यंत्र/औजार | अनुदानाची टक्केवारी |
| १   | २                               | ३  | ४                   | ५  | ६                   |
| <b>अ. लॅन्ड डेव्हलपमेंट, टीलेज व सीड बेड तयार करण्यासाठी लागणारी औजारे / उपकरणे</b> |                                 |  |                     |  |                     |
| १   | एमबी प्लाउ                      | रु. ०.१० लाख   | ५० टक्के            | रु. ०.०८ लाख                               | ४० टक्के            |
| २   | डीस्क प्लाउ                     |  |                     |  |                     |
| ३   | कल्टीव्हेटर                     |  |                     |  |                     |
| ४   | हॅरो                            |  |                     |  |                     |
| ५   | लेव्हलर ब्लेड                   |  |                     |  |                     |
| ६   | फरो ओपनर                        |  |                     |  |                     |
| ७   | रीजर                            |  |                     |  |                     |
| ८   | पडलर                            |  |                     |  |                     |
| <b>ब. सोईंग व प्लान्टींग इक्विपमेंट</b>   |                                 |  |                     |  |                     |
| १   | भात प्लॅन्टर                    | रु. ०.१० लाख   | ५० टक्के            | रु. ०.०८ लाख                               | ४० टक्के            |
| २   | सीड कम फर्टीलायझर ड्रील         |  |                     |  |                     |
| ३   | रेज्ड बेड प्लॅन्टर              |  |                     |  |                     |
| ४   | प्लॅन्टर                        |  |                     |  |                     |
| ५   | डीबलर                           |  |                     |  |                     |
| ६   | भात नर्सरी रेजींग मशीनरी        |  |                     |  |                     |
| ७   | श्री मार्कर (Marker for SRI)    |  |                     |  |                     |
| ८   | सीड ट्रीटिंग ड्रम               |  |                     |  |                     |
| ९   | ड्रम सीडर (४ ओळी पेक्षा कमी)    | रु. ०.०१५ लाख  | ५० टक्के            | रु. ०.०१२ लाख                              | ४० टक्के            |
| १०  | ड्रम सीडर (४ ओळी पेक्षा जास्त)  | रु. ०.०१९ लाख  | ५० टक्के            | रु. ०.०१५ लाख                              | ४० टक्के            |
| <b>क. हारव्हेस्टींग अॅन्ड थ्रेशींग इक्विपमेंट</b>                                   |                                 |  |                     |  |                     |
| १   | मुईमुग शेंगा स्ट्रीपर           | रु. ०.१० लाख   | ५० टक्के            | रु. ०.०८ लाख                               | ४० टक्के            |
| २   | थ्रेशर                          |  |                     |  |                     |
| ३   | विनोईंग फॅन                     |  |                     |  |                     |
| ४   | ट्री क्लॉईबर                    |  |                     |  |                     |
| ५   | हॉर्टीकल्चर हॅन्ड टुल्स         |  |                     |  |                     |
| ६   | मका सोलणी यंत्र (Maize sheller) |  |                     |  |                     |
| ७   | फीड ब्लॉक मशीन                  |  |                     |  |                     |
| ८   | स्पाइरल ग्रेडर                  |  |                     |  |                     |
| ६   | वाफ कटर (३' पर्यंत)             | रु. ०.०५ लाख   | ५० टक्के            | रु. ०.०४ लाख                               | ४० टक्के            |
| ७   | वाफ कटर (३' पेक्षा जास्त)       | रु. ०.०६३ लाख  | ५० टक्के            | रु. ०.०५ लाख                               | ४० टक्के            |
| <b>ड. इंटर कल्टीव्हेशन इक्विपमेंट</b>   |                                 |  |                     |  |                     |
| १   | ग्रास /वीड स्लॅशर               | रु. ०.००६ लाख  | ५० टक्के            | रु. ०.००५ लाख                              | ४० टक्के            |
| २   | वीडर                            |  |                     |  |                     |
| ३   | कोनो वीडर                       |  |                     |  |                     |
| ४   | गार्डन हॅन्ड टुल्स              |  |                     |  |                     |
| <b>इ. पीक संरक्षण उपकरणे</b>  |                                 |  |                     |  |                     |
| १   | मनुष्य चलीत फवारणी पंप          | रु. ०.००६ लाख  | ५० टक्के            | रु. ०.००५ लाख                              | ४० टक्के            |
| अ   | नॅपसॅक / फुट ऑपरेटेड स्प्रेयर   |  |                     |  |                     |

Annexure-3 : POWER UTILIZATION IN AGRICULTURE Kw/ha. (2011)

| Sr. No. | District             | Av. Land holding (ha) | Tractor       |              | Diesel Engines |              | Ele. Engines   |              | Agril. Labourers |             | Power Tillers |              | Draft Animals |              | Total Farm Power Availability (kW/ha) |
|---------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|------------------|-------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------|
|         |                      |                       | No.           | Power av.    | No.            | Power av.    | No.            | Power av.    | No.              | Power av.   | No.           | Power av.    | No.           | Power av.    |                                       |
| 1       | Thane                | 1.40                  | 2017          | 0.150        | 3537           | 0.056        | 4666           | 0.048        | 695318           | 0.10        | 2690          | 0.042        | 1678          | 0.002        | 0.39                                  |
| 2       | Raigad               | 1.08                  | 1443          | 0.190        | 1918           | 0.053        | 9492           | 0.175        | 447075           | 0.11        | 936           | 0.026        | 2070          | 0.004        | 0.56                                  |
| 3       | Ratnagiri            | 1.24                  | 523           | 0.053        | 1000           | 0.021        | 4000           | 0.056        | 504506           | 0.10        | 526           | 0.011        | 4203          | 0.006        | 0.24                                  |
| 4       | Sindhudurg           | 1.00                  | 474           | 0.077        | 2000           | 0.069        | 3000           | 0.068        | 267885           | 0.08        | 631           | 0.022        | 3022          | 0.007        | 0.32                                  |
| 5       | <b>Thane Dn.</b>     | <b>1.19</b>           | <b>4457</b>   | <b>0.120</b> | <b>8455</b>    | <b>0.048</b> | <b>21158</b>   | <b>0.080</b> | <b>1914784</b>   | <b>0.10</b> | <b>4783</b>   | <b>0.027</b> | <b>10973</b>  | <b>0.004</b> | <b>0.38</b>                           |
| 6       | Nashik               | 1.53                  | 50509         | 1.671        | 7342           | 0.051        | 102095         | 0.472        | 1363771          | 0.09        | 31            | 0.000        | 50782         | 0.024        | <b>2.28</b>                           |
| 7       | Dhule                | 1.79                  | 11961         | 0.495        | 1000           | 0.009        | 26000          | 0.150        | 520194           | 0.04        | 20            | 0.000        | 12526         | 0.007        | 0.70                                  |
| 8       | Nandurbar            | 2.01                  | 5261          | 0.351        | 1180           | 0.017        | 11780          | 0.110        | 497489           | 0.06        | 9             | 0.000        | 4595          | 0.004        | 0.54                                  |
| 9       | Jalgaon              | 1.77                  | 20738         | 0.684        | 2000           | 0.014        | 32000          | 0.147        | 1108027          | 0.07        | 38            | 0.000        | 20666         | 0.010        | <b>0.91</b>                           |
| 10      | <b>Nashik Dn.</b>    | <b>1.69</b>           | <b>88469</b>  | <b>0.888</b> | <b>11522</b>   | <b>0.024</b> | <b>171875</b>  | <b>0.241</b> | <b>3489481</b>   | <b>0.07</b> | <b>98</b>     | <b>0.000</b> | <b>88569</b>  | <b>0.013</b> | <b>1.22</b>                           |
| 11      | Ahmadnagar           | 1.32                  | 33097         | 0.740        | 7000           | 0.033        | 103000         | 0.321        | 1294325          | 0.05        | 1215          | 0.006        | 86597         | 0.028        | <b>1.17</b>                           |
| 12      | Pune                 | 1.36                  | 37932         | 1.013        | 13000          | 0.073        | 79000          | 0.295        | 1168293          | 0.06        | 370           | 0.002        | 37976         | 0.015        | <b>1.44</b>                           |
| 13      | Solapur              | 1.89                  | 18188         | 0.479        | 9018           | 0.050        | 40128          | 0.148        | 1096416          | 0.05        | 136           | 0.001        | 37419         | 0.014        | 0.74                                  |
| 14      | <b>Pune Dn.</b>      | <b>1.49</b>           | <b>89217</b>  | <b>0.743</b> | <b>29018</b>   | <b>0.051</b> | <b>222128</b>  | <b>0.258</b> | <b>3559034</b>   | <b>0.06</b> | <b>1721</b>   | <b>0.003</b> | <b>161992</b> | <b>0.019</b> | <b>1.12</b>                           |
| 15      | Satara               | 0.75                  | 19701         | 0.978        | 9000           | 0.094        | 30000          | 0.208        | 911309           | 0.09        | 438           | 0.005        | 9365          | 0.007        | <b>1.36</b>                           |
| 16      | Sangali              | 1.25                  | 15653         | 0.582        | 5000           | 0.039        | 30000          | 0.156        | 844826           | 0.06        | 537           | 0.004        | 9991          | 0.005        | 0.84                                  |
| 17      | Kolhapur             | 0.72                  | 17706         | 0.808        | 8000           | 0.077        | 23000          | 0.146        | 958834           | 0.08        | 1040          | 0.010        | 9352          | 0.006        | <b>1.12</b>                           |
| 18      | <b>Kolhapur Dn.</b>  | <b>0.87</b>           | <b>53060</b>  | <b>0.769</b> | <b>22000</b>   | <b>0.067</b> | <b>83000</b>   | <b>0.168</b> | <b>2714969</b>   | <b>0.07</b> | <b>2015</b>   | <b>0.006</b> | <b>28708</b>  | <b>0.006</b> | <b>1.08</b>                           |
| 19      | Auragabad            | 1.31                  | 16658         | 0.582        | 2000           | 0.015        | 45000          | 0.219        | 730890           | 0.05        | 115           | 0.001        | 31261         | 0.016        | <b>0.87</b>                           |
| 20      | Jalna                | 1.44                  | 8489          | 0.368        | 4486           | 0.041        | 38271          | 0.232        | 557090           | 0.05        | 23            | 0.000        | 13776         | 0.009        | 0.69                                  |
| 21      | Beed                 | 1.33                  | 6071          | 0.217        | 2900           | 0.022        | 41512          | 0.207        | 743059           | 0.05        | 18            | 0.000        | 38447         | 0.020        | 0.51                                  |
| 22      | <b>Auragabad Dn.</b> | <b>1.35</b>           | <b>31218</b>  | <b>0.392</b> | <b>9386</b>    | <b>0.025</b> | <b>124783</b>  | <b>0.219</b> | <b>2031039</b>   | <b>0.05</b> | <b>156</b>    | <b>0.000</b> | <b>83484</b>  | <b>0.015</b> | <b>0.69</b>                           |
| 23      | Latur                | 1.65                  | 7955          | 0.318        | 1013           | 0.009        | 28136          | 0.157        | 614472           | 0.05        | 17            | 0.000        | 30150         | 0.017        | 0.54                                  |
| 24      | Osmanabad            | 1.94                  | 9010          | 0.373        | 1800           | 0.016        | 111000         | 0.642        | 514100           | 0.04        | 17            | 0.000        | 7317          | 0.004        | <b>1.07</b>                           |
| 25      | Nanded               | 1.42                  | 3727          | 0.139        | 1700           | 0.013        | 31000          | 0.161        | 887943           | 0.06        | 9             | 0.000        | 2787          | 0.001        | 0.38                                  |
| 26      | Parbhani             | 1.63                  | 4790          | 0.147        | 700            | 0.005        | 20000          | 0.086        | 482414           | 0.03        | 16            | 0.000        | 3523          | 0.002        | 0.27                                  |
| 27      | Hingoli              | 1.68                  | 4312          | 0.298        | 3000           | 0.044        | 41000          | 0.396        | 381281           | 0.05        | 8             | 0.000        | 5317          | 0.005        | 0.79                                  |
| 28      | <b>Latur Dn.</b>     | <b>1.64</b>           | <b>29794</b>  | <b>0.242</b> | <b>8213</b>    | <b>0.014</b> | <b>231136</b>  | <b>0.262</b> | <b>2880210</b>   | <b>0.04</b> | <b>67</b>     | <b>0.000</b> | <b>49094</b>  | <b>0.006</b> | <b>0.57</b>                           |
| 29      | Buldhana             | 1.62                  | 11488         | 0.534        | 3000           | 0.029        | 17000          | 0.110        | 818824           | 0.07        | 7             | 0.000        | 23549         | 0.016        | 0.75                                  |
| 30      | Akola                | 1.73                  | 6114          | 0.362        | 720            | 0.009        | 7710           | 0.064        | 436431           | 0.05        | 7             | 0.000        | 4404          | 0.004        | 0.48                                  |
| 31      | Washim               | 1.91                  | 5711          | 0.392        | 3000           | 0.044        | 17000          | 0.163        | 381466           | 0.05        | 17            | 0.000        | 1856          | 0.002        | 0.64                                  |
| 32      | Amravati             | 1.73                  | 8083          | 0.356        | 1000           | 0.009        | 22000          | 0.135        | 771525           | 0.06        | 5             | 0.000        | 5858          | 0.004        | 0.56                                  |
| 33      | Yavatmal             | 2.21                  | 6415          | 0.194        | 4000           | 0.026        | 22000          | 0.093        | 864545           | 0.05        | 10            | 0.000        | 4775          | 0.002        | 0.36                                  |
| 34      | <b>Amravati Dn.</b>  | <b>1.83</b>           | <b>37811</b>  | <b>0.348</b> | <b>11720</b>   | <b>0.023</b> | <b>85710</b>   | <b>0.110</b> | <b>3272791</b>   | <b>0.06</b> | <b>46</b>     | <b>0.000</b> | <b>40442</b>  | <b>0.005</b> | <b>0.54</b>                           |
| 35      | Wardha               | 2.24                  | 4528          | 0.320        | 3000           | 0.045        | 15000          | 0.148        | 377967           | 0.05        | 5             | 0.000        | 16844         | 0.017        | 0.58                                  |
| 36      | Nagpur               | 1.90                  | 11033         | 0.621        | 6000           | 0.071        | 31000          | 0.244        | 594553           | 0.06        | 12            | 0.000        | 21487         | 0.017        | <b>1.01</b>                           |
| 37      | Bhandara             | 0.95                  | 6256          | 0.969        | 2000           | 0.065        | 8000           | 0.173        | 378453           | 0.11        | 0             | 0.000        | 12131         | 0.027        | <b>1.33</b>                           |
| 38      | Gondia               | 0.87                  | 4094          | 0.674        | 3000           | 0.104        | 6000           | 0.138        | 393663           | 0.12        | 3             | 0.000        | 13748         | 0.032        | <b>1.06</b>                           |
| 39      | Chandrapur           | 1.78                  | 7446          | 0.511        | 9000           | 0.131        | 10000          | 0.096        | 604778           | 0.08        | 106           | 0.002        | 5615          | 0.006        | 0.82                                  |
| 40      | Gadchiroli           | 1.65                  | 3053          | 0.570        | 15000          | 0.592        | 3000           | 0.078        | 408715           | 0.14        | 9             | 0.000        | 86            | 0.000        | <b>1.38</b>                           |
| 41      | <b>Nagpur Dn.</b>    | <b>1.56</b>           | <b>36410</b>  | <b>0.566</b> | <b>38000</b>   | <b>0.125</b> | <b>73000</b>   | <b>0.158</b> | <b>2758129</b>   | <b>0.08</b> | <b>135</b>    | <b>0.000</b> | <b>69911</b>  | <b>0.016</b> | <b>0.94</b>                           |
| 42      | <b>Total</b>         | <b>1.44</b>           | <b>370436</b> | <b>0.528</b> | <b>138314</b>  | <b>0.042</b> | <b>1012790</b> | <b>0.202</b> | <b>22620437</b>  | <b>0.06</b> | <b>9021</b>   | <b>0.003</b> | <b>533173</b> | <b>0.011</b> | <b>0.84</b>                           |



**प्रपत्र-५**  
**हमीपत्र नमुना**  
(रु. १०००/- च्या बॉन्डपेपरवर)

(कृषि विभागामार्फत राबविण्यात येणा-या केंद्र पुरस्कृत कृषि यांत्रिकीकरण उप अभियानांतर्गत भाडेतत्वावर सेवा सुविधा पुरविणारे औजारे बँक स्थापणे : भाडेतत्वावर सेवा सुविधा पुरविणारे केंद्र स्थापन करण्याबाबत लाभधारकाने द्यायचे हमीपत्र)

मी, \_\_\_\_\_ (संपूर्ण नाव व पत्ता ), वय \_\_\_\_\_ वर्षे, धारण केलेले पद \_\_\_\_\_ केंद्राचा प्राधिकृत प्रतिनिधी या नात्याने कृषि विभागास हमीपत्र लिहून देतो की,

१. मी स्वतः कृषि यांत्रिकीकरण सेवा-सुविधा पुरवीण्यासाठी सक्षम असून त्या अनुषंगाने यापूर्वी केलेल्या कामांबाबत प्रमाणित तपशील सोबत जोडला आहे./आमची संस्था नोंदणीकृत असून नोंदणी क्र. ----- वर्ष ----- आहे. संस्थेचे नोंदणी प्रमाण पत्राची साक्षांकीत प्रत सोबत सहपत्रीत केली आहे.
२. आमच्या संस्थेस कृषि क्षेत्राशी निगडीत कामाचा व्यापक अनुभव आहे. संस्थेच्या मेमोरॅन्डम ऑफ असोसिएशन मध्ये कृषि विषयक कामांचा स्पष्ट उल्लेख असून कृषि यांत्रिकीकरण सेवा-सुविधेचा संस्थेस अनुभव आहे. त्याबाबत कागदपत्रे सोबत सहपत्रीत केली आहेत.
३. कृषि विभागामार्फत राबविण्यात येणा-या कृषि यांत्रिकीकरण उप अभियानांतर्गत भाडेतत्वावर सेवा सुविधा पुरविणारे औजारे बँक स्थापणे व भाडेतत्वावर कृषि यांत्रिकीकरण सेवा सुविधा पुरविणारे केंद्रे स्थापन करण्याबाबत आमची संस्था इच्छूक असून त्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ व प्रशिक्षित तांत्रिक कर्मचारी वृंद आमच्याकडे/संस्थेकडे उपलब्ध आहे.
४. केंद्र स्थापन करण्यासाठी आमच्या जिल्ह्यातील पीक रचनेनुसार सर्व कृषि औजारांची सुरुवातीस स्वखर्चाने रु. ....लाख पर्यंत रकमेची औजारे खरेदी करण्यास मी/संस्था तयार आहे. त्यासाठी आवश्यकतेनुरूप बँक कर्ज प्रकरण करण्याची जबाबदारी माझी/संस्थेची राहिल व त्यासाठी येणारा सर्व खर्च मी/संस्था करेल. प्रत्यक्ष औजारे खरेदी नंतर अनुदानाची रक्कम औजारे खरेदीच्या पावत्या सादर केल्यानंतर व प्रत्यक्ष तपासणी करुन आमच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल याची मला सुस्पष्ट कल्पना असून त्यास माझी पूर्णतः संमती आहे.
५. अनुदानावर कृषि यांत्रिकीकरण सेवा-सुविधा केंद्रासाठी खरेदी करण्यात येणा-या संयंत्रे/औजारे/उपकरणे यांचे किमान सहा वर्षे हस्तांतरण, पुर्नविक्री किंवा गहाणवट करता येणार नाही याची मला स्पष्ट कल्पना असून त्यास माझी संमती आहे. अशा प्रकारे हस्तांतरण, पुर्नविक्री किंवा गहाणवट केल्यास अनुदानापोटी मिळालेली संपूर्ण रक्कम व्याजासह एकरकमी वसूल करण्यास माझी विनाशर्त अनुमती आहे.
६. अनुदानाचा लाभ घेतल्याने त्याद्वारे प्राप्त करुन घेण्यात येणा-या औजारांद्वारे/उपकरणांद्वारे जवळपासच्या गावात शेतक-यांना भाडेतत्वावर कृषि यांत्रिकीकरण सेवा-सुविधा माफक दरात/शासनाने निर्धारित केलेल्या दरात उपलब्ध करुन देण्यास मी बांधील राहिल याची मला कल्पना असून त्यास माझी संमती आहे.
७. सादर संयंत्रे, औजारे, उपकरणे यांची निगा राखणे, देखभाल-दुरुस्ती करणे याची सर्वस्वी जबाबदारी आमची राहिल, याची मला कल्पना असून त्यास माझी संमती आहे.

८. याबाबत शासनाने ठरवून दिलेल्या प्रपत्रात नियमितपणे अहवाल सादर करण्याची माझी जबाबदारी आहे तसेच अभिलेख नोंदवही नमुना प्रपत्रात ठेवण्याची हमी मी देत आहे.
९. योजनेच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार अशा केंद्रांसाठी इतर लागू असणा-या सर्व जबाबदा-या पार पाडण्याची मी/संस्था हमी देत आहे.
१०. वरील व या अनुषंगाने शासनास आवश्यक सर्व बाबी व नियमांचे पालन करण्याची मी/संस्था या हमीपत्राद्वारे हमी देत आहे.
- ११.

लिहून घेणार

लिहून देणार

(-----)

(-----)

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी

पदनाम -----

-----

साक्षीदार

१. -----

२. -----

(वरील हमीपत्र नमुन्यादाखल देण्यात येत असून याबाबत कायदेशीर तरतुदींचे अनुषंगाने सरकारी वकील किंवा विधी सल्लागारांच्या मदतीने आवश्यकते स्थानीक गरजेनुरूप बदल करण्यास हरकत नाही.)

प्रपत्र - ६  
जिल्हा स्तरीय संयुक्त तपासणी पथकाचे प्रपत्र

१. तपासणीची तारीख
२. संयुक्त तपासणी पथकात समाविष्ट सदस्य

| तपासणी अधिका-याचे नाव | पदनाम | कार्यालयीन पत्ता |
|-----------------------|-------|------------------|
|                       |       |                  |
|                       |       |                  |
|                       |       |                  |
|                       |       |                  |

३. अ) लाभधारकाचे संपूर्ण नाव, सविस्तर पत्ता  
ब) आधार कार्ड क्र., बँकेचा तपशील, दुरध्वनी क्र., इमेल आयडी
४. अ) लाभधारकाचा प्रवर्ग  
ब) प्रगतीशील शेतकरी/शेतक-यांचे नोंदणीकृत गट/ग्रामीण उद्योजक
५. इतर अर्थ संस्थांचे अर्थसहाय्य घेतले असल्यास त्याचा सविस्तर तपशील
६. प्रस्तावीत प्रकल्पातील औजारे बँकचा तपशील

| अ. क्र. | औजाराचे तांत्रिक नाव | प्रकल्पात नमुद केलेले नाव | बीलानुसार खरेदीची प्रत्यक्ष रक्कम | संयुक्त तपासणी पथकाने केलेली शिफारस |
|---------|----------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|         |                      |                           |                                   |                                     |
|         |                      |                           |                                   |                                     |
|         |                      |                           |                                   |                                     |
| एकूण    |                      |                           |                                   |                                     |

७. लाभधारकाकडील उपलब्ध सुविधा
  - अ) औजारे सुरक्षित व सुस्थितीत ठेवण्यासाठी व्यवस्था/शेड
  - ब) अनुभवी व प्रशिक्षित मनुष्यबळ (संख्या)
  - क) औजारे देखभाल व दुरुस्तीसाठी केलेली व्यवस्था
  - ड) अभिलेख जतन करून ठेवण्यासाठी केलेली व्यवस्था
  - इ) इतर अनुषंगीक बाबी
८. यंत्रसामुग्री व औजारे यांच्या नोंदणीबाबत, विम्याबाबत, कर भरणा, वॉरन्टीबाबत केलेली कार्यवाही
९. औजारे बँक स्थापनेसाठी खरेदी केलेल्या औजारांची एकूण रक्कम
१०. यंत्रसामुग्री व औजारे सुस्थितीत प्राप्त झाल्याबाबत लाभधारकाची लेखी सहमती
११. माफक दराने सेवा-सुविधा पुरवठ्याबाबत लाभधारकाची लेखी सहमती
१२. अनुदान वजाजाता लाभधारकाने स्वनिधीतून भरलेली रक्कम रु.
१३. संयुक्त तपासणी पथकाने अनुदान रकमेसाठी केलेली शिफारस रु.
१४. इतर अनुषंगीक मुद्दे

संयुक्त तपासणी पथकातील प्रत्येक सदस्याची स्वाक्षरी घ्यावी

केंद्र शासनाच्या मान्यता प्राप्त तपासणी संस्थांचा तपशील

| Sr.No. | Name of the State                | Name of the Institute   |
|--------|----------------------------------|---|
| 1      | ANDHRA<br>PRADESH /<br>TELANGANA | Acharya N.G. Ranga Agriculture University (ANGRAU), Rajendra Nagar, HYDERABAD (ANDHRA PRADESH)<br><b>Changed name as</b> - Farm Machinery Testing Centre, Prof. Jayashankar Telangana State Agriculture University (PJTSAU), Hyderabad, Telangana.                        |
| 2      | BIHAR                            | Faculty of Agricultural Engineering, Rajendra Agriculture University, PUSA (BIHAR)  |
| 3      | CHHATTISGARH                     | State level Agriculture Implement Testing Centre, Directorate, (Agricultural Engineering), Agriculture Department, Govt. of Chhattisgarh, TeliBandha, Gorav Path, RAIPUR (CHHATTISGARH)   |
| 4      | DELHI                            | Division of Agricultural Engineering, Indian Agricultural Research Institute, NEW DELHI-12.   |
| 5      | GUJARAT                          | College of Agricultural Engineering & Technology, Junagarh Agricultural University, JUNAGARH (GUJARAT)  |
| 6      | HARYANA                          | College of Agricultural Engineering & Technology, Choudhary Charan Singh Agriculture University, HISSAR   |
| 7      | JAMMU &<br>KASHMIR               | Sher-e-Kashmir University of Agri. Science & Technology, SRINAGAR REGION (J. & K.) and JAMMU REGION (J. & K.)   |
| 8      |                                  | Birsa Agriculture University, Kanke, RANCHI (JHARKHAND)   |
| 9      | JHARKHAND                        | Jharkhand Agriculture Machinery Testing and Training Centre (JAMTTC), Department of Agriculture and Cane Development (Directorate of Soil Conservation), Jharkhand, Agricultural Engineering Section at Extension Training Campus, Govt. of Jharkhand, RANCHI (JHARKHAND) |
| 10     | KARNATAKA                        | University of Agricultural Sciences, Gandhi Krishi Vignyan Kendra, BANGALORE (KARNATAKA.)   |
| 11     |                                  | College of Agricultural Engineering, UAS, RAICHUR, KARNATAKA.   |
| 12     | KERALA                           | Farm Machinery Testing Centre, Kerala Agricultural University Kelappaji College of Agricultural Engineering & Technology Tavanur, Malappuram (Dist), Kerala- 679573   |
| 13     | MADHYA<br>PRADESH                | Central Institute of Agricultural Engineering, Berasia Road, BHOPAL   |
| 14     |                                  | Dr. A.S. College of Agricultural Engineering Mahatma Phule Krishi Vidyapeeth, Rahuri, Distt. Ahmednagar, Maharashtra (MPKV)   |
| 15     | MAHARSHTRA                       | Farm Machinery Testing, Training and Production Centre, Department of Farm Power and Machinery, Dr. PDKV, Akola,  |
| 16     |                                  | College of Agricultural Engineering and Technology, Dr. Balasaheb Sawant Konkan Krishi Vidyapeeth, DAPOLI (MAHARSHTRA)  |
| 17     | ORISSA                           | College of Agricultural Engineering and Technology, Orissa University of Agriculture and Technology, BHUBANESWAR  |
| 18     |                                  | State Level Farm Machinery Training & Testing Centre, Agriculture Department, Government of Odisha, Bhubaneswar, Odisha.  |
| 19     | PUNJAB                           | College of Agricultural Engineering and Technology, Punjab Agriculture University, LUDHIANA (PUNJAB)  |
| 20     |                                  | Central Institute of Post Harvest Engineering and Technology (CIPHET), Ludhiana, 141004   |
| 21     | RAJASTHAN                        | Farm Implements and Machinery Testing & Training Centre, Central Workshop, Swami Keshwanand Rajasthan Agricultural University, Bikaner (Rajasthan).   |
| 22     |                                  | College of Technology and Agricultural Engineering, Maharana Pratap, University of Agriculture and Technology, UDAIPUR (RAJASTHAN)  |
| 23     | SIKKIM                           | College of Agricultural Engineering and Post Harvest Technology, RANIPOOL, GANGTOK (SIKKIM)   |



|    |               |   |
|----|---------------|---|
| 24 | TAMIL NADU    | Tamil Nadu Agricultural University, COIMBATORE (TAMIL NADU)   |
| 25 | UTTAR PRADESH | State Level Farm Machinery Training and Testing Institute, Govt. of U.P.,<br>Rehmankheda, LUCKNOW (U.P.)  |
| 26 |               | Sam Higginbottom Institute of Agriculture, Technology & Science (AAI),<br>Deemed University, ALLAHABAD (U.P.)   |
| 27 | UTTARANCHAL   | College of Technology, Gobind Ballabh Pant University of Agriculture<br>and Technology, PANTNAGAR (UTTARANCHAL)   |
| 28 | WEST BENGAL   | Department of Agriculture & Food Engineering, Indian Institute of<br>Technology, KHARAGPUR (WEST BENGAL.)   |
| 29 |               | State Farm Machinery Training-cum-Testing Institute, Faculty of<br>Agricultural Engineering, Bidhan Chandra KrishiViswavidyalaya<br>(BCKVV), Mohanpur, DISTT. NADIA (WEST BENGAL) |

